भारतीय दण्ड संहिता

यूनिट–2

1. गर्भपात कराना
2. लज्जा भंग
3. विवाह के लिए स्त्री का व्यपहरण या अपहरण
4. बलात्संग
5. कूरता

1. गर्भपात कराना (Causing Miscarriage)

धारा 312 से 314 तक में गर्भपात के सम्बंध में प्रावधान किया गया है।

गर्भपात कारित करना–

धारा 312 के अनुसार– '' जो कोई गर्भवजी स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोग से सद्भावपूर्वक कारित न किया जाए तो वह दोनो में से किसी भाति के करावास से जिसकी अवधि

3 वर्श तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से दण्डित किया जाएगा और यदि वह स्त्री स्पन्दन गर्भा हो तो वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसी अवधि 7 वर्श तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।''

स्पश्टीकरण– जो स्त्री स्वंय अपना गर्भपात कारित करती है, वह इस धारा के अर्थ क अन्तर्गत आती हैं।

गर्भपात से अभिप्राय– गर्भाधान की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही किसी भी समय अविकसित बच्चे को या माता के गर्भ से भ्रूण के बाहर निकाल देने अथवा अलग कर देने से है।

स्पन्दन से अभिप्राय– स्त्री की उस अनुभूति से है जो उसे गर्भावस्था के चोथे अथवा पांचवे महीने में प्रतीत होती हैं।

आव   यक तत्व– इस धारा के अधीन अपराध के गठन के लिए दो बातें आव   यक है।

(1) गर्भपात स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित करना।

(2) ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्ण न किया जाना।

स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना–

धारा 313 के अनुसार–''जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्श तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भो दण्डनीय होगा।

<u>गर्भपात कारित करने के आ□ाय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु–</u>

धारा 314 के अनुसार– जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आ ाय से कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, वह दोनो में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्श तक हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

यदि वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए तो वह आजीवन कारावास से या ऊपर बताएं गये दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

स्पश्टीकरण– इस अपराध के लिए यह आव यक नही है कि अपराधी जानता हो उस कार्य से मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है।

~~2.~~ स्त्री की लज्जा भंग

<u>स्त्री की लज्जा भंग करने के आ□ाय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग–</u>

धारा 354 के अनुसार– जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आ ाय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तद द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्श से पुनः नही होगी किन्तु जो 5 वर्श तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करने के आ ाय से उस पर किया गया हमला या बल प्रयोग इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय है।

हमला को धारा– 351 मके और आपराधिक बल को धारा– 350 में परिभाशित किया गया है।

<u>महत्वपूर्ण वाद–</u>

~~1.~~ पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (AIR 1967, S.C)

2. बलदेव प्रसाद सिंह बनाम राज्य (1984 उडीसा)
3. राजू पाण्डरंग महाले बनाम महाराश्ट्र राज्य (2004, S.C)
4. श्रीमती रूपन देवल बजाज बनाम के0 पी0 गिल (AIR 1996 SC)
5. वि   ाखा बनाम राजस्थान राज्य (AIR 1997 SC)

महात्वपूर्ण वाद– कामकाजी महिलाओ के यौन उत्पीडन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कढे महात्वपूर्ण दि   ा निर्दे   ा जारी किए।

निर्भया कांड के बाद आपराधिक विधि सं   ोधन अधि0 2013 द्वारा निम्नलिखित धाराए अन्तः स्थापित की गई।

1. लैंगिक उत्पीडन और लैगिंक उत्पीडन के लिए दण्ड (धारा 354–क)
2. विवस्त्र करने के आ   ाय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (धारा 354–ख)
3. दृ   य रतिकला (धारा 354–ग)
4. पीछा करना (धारा 354–घ)

विवाह आदि के करने को विव   ा करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहत करना, अपहृत करना या उम्प्रेरित करना–

धारा 366 के अनुसार– जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्क्षा के विरूद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करना के लिए उस स्त्री को विव   ा करने के आ   ाय से या वह विव   ा की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिए उस स्त्री को विव   ा या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री आयुक्त सम्भोग करने के लिए विव   ा या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनो मे से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्श तक हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

ओर जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए विव   ा या विलुब्ध करने के आरोप से या वह विव   ा या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव जानते हुए इस संहिता में यथा परिभाशित आपराधिक अधिवास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरूपयोग या विव   ा करने क अन्य साधन द्वारा उसे स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा।

धारा 366 की प्रयोज्यता के लिए मुख्य बात अपहरण या व्यपहरण का उदे्   य विवाह करना है।

सम्बंधित विवाद– भयाम और अन्य बनाम महाराश्ट्र राज्य (AIR 1995 SC)

राजेन्द्र उर्फ राजू बनाम महाराश्ट्र राज्य (AIR 2002 SC) के मामले में उच्च्तम न्यायालय ने अभिमंथन किया कि धारा 366 के अपराध के गठन के लिए बल का प्रयोग अथवा धोखा आव यक है।

वेयावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए आप्रप्तवय को खरीदना अथवा बेचना आदि–

वे यावृत्ति एक सामाजिक बुराई है इसे रोकने के लिए विविध विधियां बनाई गई है उसमे से एक यह भी है। संहिता की धाराए 372 व 373 अवयस्को का वे यावृत्ताके लिए क्रय– विक्रय को प्रतिशेधित करता है।

वेयावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए आप्राप्तवय को बेचना (धारा 372)–

जो कोई 18 वर्श से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आ ाय से कि ऐसा व्यक्ति , किसी आयु में भी वे यावृत्तिया किसी व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरूद्ध या दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु मे भी ऐसे प्रयोजन के लिए काम में लाया लाऐगा या उपयोग किया जाऐगा, बेचेगा, भाडे पर देगा या अन्यथा चयनित करेगा वह दोनो मे से किसी भाति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्श तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पश्टीकरण– जबकि 18 वर्श से कम आयु को नारी किसी वे या को या किसी अन्य व्यक्ति को जो कि वे याग्रह चलाता हो या उसका प्रबन्ध करता हो, बेची जाए, भाडे पर दी जाए, अन्यथा चयनित की जाए, तब इस प्रकार ऐसी नारी को चयनित करने वाले व्यक्ति के बारे मे जब तक कि तत्प्रतिक्ल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आ ाय से चयनित किया है कि वह वे यावृत्ति के लिए उपयोग मे लायी जाएगी।

वेयावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का खरीदना आदि (धारा 373)

यह धारा 18 वर्श के कम आयु के किसी व्यक्ति के विक्रय किए जाने पर उसके लिए दण्ड का प्रावधान करती है।

यह धारा 18वर्श से कम आयु की स्त्री पर और ऐसी स्त्री पर जो चाहे आविवाहित हो अथवा विवाहित और जो अनैतिक जीवन व्यतीत कर रही हो, तथा ऐसी लडकियो पर भी जो नृत्य जाति की सदस्याएं हो (रमन्ना का मामला 1889 मद्रास) प्रयोग्य होती है।

धारा 373 की प्रयोग्यता के लिए निम्नलिखित 3 बातों की पूर्ति अपेक्षित है–

1. किसी व्यक्ति का क्रय विक्रय किया जाना, भाडे पर दिया जाना या उसका अन्यथा व्यय किया जाना।
2. ऐसे व्यक्ति का 18 वर्श से कम आयु का होना, एंव
3. ऐसे विक्रय किए जाने, भाडे पर दिए जाने या अन्यथा व्ययनित किए जाने का आ ाय
   (क) वे यावृत्ति या
   (ख) किसी अन्य के साथ सम्भोग या
   (ग) अन्य कोई विधि विरूद्ध एंव अनैतिक प्रयोजन होना।

अव्यस्क लडकियों का किसी मन्दिर की सेवा में देवदासी के रूप में, यह जानते हुए कि उसका वे यावृत्ति के लिए उपयोग किया जाएगा, समर्पण, इस धारा के अथों में व्ययन माना गया है (बासवाव का मामला 1892, मद्रास)

बलात्संग– धारा 375

मानव भारीर के प्रति किये जाने वाले अपराधों मके बलात्कार को एक घृणित अपराध माना गया है संभोग प्रकृति पर नियंत्रण एंव विवाह की पवित्रा बनाये रखने के लिए पत्नी पर पति के एकाधिपत्य का आव यक माना गया है किन्तु इसका अभिप्राय यह नही है कि वह स्वतं़त्र एंव स्वछन्द हो यदि ऐसा होता तो मानव और प ु में कोई अन्तर ना रह जाता। यदि कोई पुरूश अपनी पत्नी से अन्यथा धारा 375 में दिए गये प्रावधान के अन्तर्गत किसी अन्य स्त्री के साथ सम्भोग अथवा मैथुन करता है तो वह विधिक भाशा में बलात्संग का अपराध कारित करता है।

निर्भया काण्ड के बाद दण्ड विधि सं ोधन अधि0 2013 के अन्तर्गत धारा 375 में बदलाव कर इसे और विस्तारित कर दिया गया है।

बलात्संग धारा 375 के अन्तर्गत मानव बलात्संग करता है, यह कहा जाता है यदि वह व्यक्ति निम्न सात परिस्थितियों के अधीन किया जाता है–

1. उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध
2. उस स्त्री की सम्मति के बिना
3. उस स्त्री की मृत्यु या उपहति का भय बता कर सम्मति प्राप्त करके
4. उसे अपने को उसका पति बता कर, जबकि वह वास्तव मे उसका पति नही है, एंव
5. उस स्त्री की सम्मति से, जबकि सम्मति देने के समय वह मन की विकृत चिन्तता, मत्ता अथवा संज्ञा भान्य कारी या अस्वास्थ्य कर पदार्थ के सेवन के कारण काय की प्रकृति एंव परिणाम जान सकने मे असमर्थ रही हो।
6. उसकी सम्मति या बिना सम्मति के, जबकि उसकी आयु 18 वर्श से कम है,

7. जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने मे असमर्थ हो।

बौधिमान गौतम बनाम भाुक्ला चक्रवर्ती, 1996 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अधि0 निर्धारित किया गया है कि बलात्कार का अपराध मानव अधिकार के विरूद्ध अपराध है इससे जीने के अधिकार का अतिलंघन होता है।

<u>महात्वपूर्ण वाद–</u>

1. तुकाराम बनाम राज्य 1979 SC
2. रफीक बनाम उ0 प्र0 राज्य 1990 SC
3. कृश्ण लाल बनाम हरियाणा राज्य 1980 SC
4. साक्षी बनाम भारत संघ 2004 SC
5. फगनू भोई बनाम उडीसा राज्य 1992 SC
6. राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रका ा 2002 SC
7. पंजाब राज्य बनाम रामदेव सिहं 2004 SC

कूरता 498– A

किसी स्त्री के पती या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति कूरता करना–

जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति कूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्श तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पश्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए कूरता से निम्नलिखित अधिप्रत है।

1. जान बूझ कर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्म हत्या करने के लिए प्रेरित करने का या उस स्त्री के जीवन अंग या स्वास्थ को (जो चाहे मानसिक हो या भाारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है।
2. किसी स्त्री की इस दृश्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने मे असफल रहा है।

यह धारा सन् 1983 के सं ाोधन अधि0 द्वारा स्त्रियों के दहेज मृत्यु सम्बंधी अपराध से निपटने हेतु निर्मित को गई इस धारा का मुख्य उददे य किसी महिला को उसके पति या पति के सम्बंधियों द्वारा दहेज हेतु प्रताडित किये जाने से सुरक्षा प्रदान करना है। इस धारा के उददे य हेतु पति अथवा पति के सम्बंधियो द्वारा किसी महिला को दहेज हेतु प्रताडित करना क्रूरता कहा जाएगा, जो इस धारा के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है।

सम्बंधित वाद–

1. इन्दर राज मलिक बनाम सुनिता मलिक 1986 Delhi
2. यू0 सीवेथा बनाम राज्य 2009 S.C
3. कालिया पेरूमल बनाम तमिल राज्य 2003 S.C
4. भाोभारानी बनाम मधुकर रेडड्ी 1988 S.C